

## 1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी

### क्षेत्रीय अधिकारिता

— सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद

### दीवानी पक्ष

- 1 एक लाख से अधिक असीमित मूल्यांकन के दीवानी वाद
- 2 जज इन्शोलवेन्सी
- 3 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
- 4 पांच हजार से अधिक मूल्यांकन के लघुवाद
- 5 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के बाद
- 6 चुनाव याचिका क्षेत्र पचायत जिला पचायत व नगरपालिका
- 7 किराया नियन्त्रण व वेदखली रिवीजन व अपील
- 8 गार्जियन एण्ड वार्डस ऐक्ट
- 9 भूमि आज्ञाप्ति सन्दर्भण वाद
- 10 हिन्दु विवाह अधिनियम
- 11 जनपद उत्तरकाशी के उत्तराधिकार अधिनियम के बाद।

### अपील

— दीवानी अपील मूल्यांकन पांच लाख तक

### फौजदारी पक्ष

— 1 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सत्र परीक्षण का क्षेत्राधिकार

2 फौजदारी अपील

3 फौजदारी निगरानी

### विशेष न्यायाधीश

1 आवश्यक वस्तु अधिनियम

2 अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम

3 स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

4 मिलावटी एवं नकली दवाओं से सम्बन्धित अधिनियम

5 विद्युत अधिनियम की धारा 135 से 139 तक के विचारण

## 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (सी0डिओ) उत्तरकाशी

- |                     |     |   |
|---------------------|-----|---|
| दीवानी पक्ष         | -   | जिला न्यायाधीश द्वारा हस्तान्तरित वादों का विचारण   |
| क्षेत्रीय अधिकारिता | -   | सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद   |
| फौजदारी पक्ष        | - 1 | भा०द०स० के अन्तर्गत 7 साल की सजा तक के वादों का विचारण                                      |
|                     | 2   | आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित वाद   |
|                     | 3   | उत्तरप्रदेश शहरी भवन (नियन्त्रण किराया और वेदखली) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी |
|                     | 4   | खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के वादों का विचारण   |
|                     | 5   | खनन अधिनियम के वाद  |
|                     | 6   | भरण पोषण सम्बन्धी वाद   |

## 3. सिविल जज (जू०डिओ) / न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी

- |                     |     |   |
|---------------------|-----|---|
| दीवानी पक्ष         | - 1 | एक लाख तक के दीवानी वादों के मूल्यांकन तक का विचारण   |
|                     | 2   | लघुवाद पांच हजार तक के वादों का विचारण  |
| क्षेत्रीय अधिकारिता | -   | तहसील भटवाड़ी, दुण्डा व चिन्यालीसौड के समस्त दीवानी एवं लघुवाद  |
| फौजदारी पक्ष        | - 1 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्राधिकार थाना मनेरी एवं राजस्व क्षेत्र तहसील भटवाड़ी के समस्त फौजदारी वाद, तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा समय-समय पर हस्तान्तरित वादों का विचारण |
|                     | 2   | भा०द०स० के अन्तर्गत 3 साल की सजा तक के वादों का विचारण  |
|                     | 3   | सम्पूर्ण जनपद के किशोर न्याय वोर्ड से सम्बन्धित वाद   |
|                     | 4   | किराया नियन्त्रण वाद  |

## 4. सिविल जज (जू०डिओ) / न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरोला

- |                     |     |  |
|---------------------|-----|--|
| दीवानी पक्ष         | - 1 | एक लाख तक के दीवानी वादों के मूल्यांकन तक का विचारण  |
|                     | 2   | लघुवाद पांच हजार तक के वादों का विचारण   |
| क्षेत्रीय अधिकारिता | -   | तहसील पुरोला, बडकोट तथा मोरी के समस्त दीवानी एवं लघुवाद  |
| फौजदारी पक्ष        | - 1 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्राधिकार थाना पुरोला, तहसील मोरी व बडकोट के पुलिस चालानी वाद, तहसील पुरोला, मोरी व बडकोट के परिवाद वाद तथा अन्तर्गत धारा-125 द०प्र०स० के तहसील पुरोला, मोरी व बडकोट के वादों का विचारण |

- 2 भा०द०स० के अन्तर्गत 3 साल की सज्जा तक के वादों का विचारण
- 3 उत्तरप्रदेश शहरी भवन (किराया नियन्त्रण और बेदखली) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत पिहित प्राधिकारी
- 4 किराया नियन्त्रण वाद